प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 05.05.2026

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये चोरी के मामले से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

दो प्लास्टिक व दो सूती बोरों में कुल 177 किग्रा0 गेहूँ, दो अदद चाँदी (सफेद धातु) का सिक्का, 3100 नगद रूपये व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा *श्री अमित कुशवाहा* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा दिनाँक 04.05.2026 को 02 अभियुक्तगण नाम पता 01. बिट्टू उर्फ रजनीश राय पुत्र दिनेश राय निवासी बेलराई थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर 02. लल्ला उर्फ मकसूद पुत्र रहमत अली निवासी सिकरी थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को दो अदद चाँदी (सफेद धातु) के सिक्के के साथ सुकरौली गाँव से पोखर भिटवा जाने वाली पक्की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों की निशानदेही पर दो प्लास्टिक व दो सूती बोरों में कुल 177 किग्रा0 गेहूँ बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनाँक 01.05.2026 को वादी श्री चन्द्रमौली राय पुत्र स्व0 धर्मदत्त राय निवासी बेलराई थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धर्मसिंहवा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनाँक 25.04.2026 को मै अपने भाई माधव राय के लड़की की शादी में ग्राम उमिला थाना कोतवाली खलीलाबाद गया था। दिनाँक 29.04.2026 को मेरे भाई स्व0 केशवचन्द राय की बहू रागिनी ने फोन करके बताया कि आपके खपरैल के मकान की पीछे की खिड़की तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा चोरी किया गया है। मै घर आया तो देखा कि मेरे घर से करीब चार कुंटल गेहूँ और चाँदी के कुछ सिक्के व रुपये चोरी कर लिया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना धर्मसिंहवा पर मु0अ0सं0 046/2026 धारा 331(4), 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धर्मसिंहवा पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
01. बिट्टू उर्फ रजनीश राय पुत्र दिनेश राय निवासी बेलराई थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर।
02. लल्ला उर्फ मकसूद पुत्र रहमत अली निवासी सिकरी थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-
(1.) दो प्लास्टिक व दो सूती बोरों में कुल 177 किग्रा0 गेहूँ।
(2.) दो अदद चाँदी (सफेद धातु) का सिक्का।
(3.) 3100 नगद रूपये।
(4.) घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटर साइकिल।

पूछताछ विवरणः-
गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो बताये कि दिनाँक 25.04.2026 की रात्रि में हम दोनों ने ग्राम बेलराई के चन्द्रमौली राय के खपरैल की बन्द मकान के खिड़की को तोड़कर घर में घुस कर उनके डेहरी में से दो कुन्टल गेहूँ तथा बक्से का ताला तोड़ कर बक्सेके अन्दर रखा चाँदी का सिक्का तथा रूपये चोरी कर लिये थे। हम दोनों लोग मिल कर छोटी मोटी चोरियाँ करते है उससे मिले सामानों को बेचकर मिले रूपयों को अपने आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ हेतु प्रयोग करते है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-
1. थानाध्यक्ष धर्मसिंहवा श्री अमित कुशवाहा, उ0नि0 श्री संदीप कुमार राय, हे0का0 सुरेन्द्र कुमार यादव, का0 ओमवीर सिंह, का0 अमृतेश मिश्रा, का0 रणजीत यादव, रि0का0 अरुण यादव, रि0आ0 विनय कुमार मिश्रा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6000 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6000 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बारीडीही से कालर द्वारा बाईक से गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.आशीष पुत्र गिरधारी सा0 चपरा पूर्वी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।
पीआरवी स्टाफ- हे0का0 दुर्गेश यादव, का0 गुफरान अहमद, हो0गा0 रामहित प्रजापति ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 195 वाहनों से 2,02,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 05.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 195 वाहनों से 2,02,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते झपटमारी के मामले में 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, 01 अदद चेन पीली धातु व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबद पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.05.2026 को मु0अ0सं0 348/2026 धारा 304(2)/352/317(2) बीएनएस में वाँछित 02 अभियुक्तगण नाम पता 01. सर्वेश उर्फ विवेक पुत्र गंगाराम 02. शिवआत्मा कुमार उर्फ छोटू पुत्र परमात्मा निवासीगण मटिहना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को केरमुआ चौराहा के पास से छिनैती की 01 अदद चेन व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल (रजि0नं0 यू0पी0 58 सी0 9420) के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-
01. सर्वेश उर्फ विवेक पुत्र गंगाराम निवासी मटिहना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
02. शिवआत्मा कुमार उर्फ छोटू पुत्र परमात्मा निवासी मटिहना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।

बरामदगी का विवरणः-

- ❖ 01 अदद चेन पीली धातु ।
- ❖ घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाइकिल (रजि0नं0 यू0पी0 58 सी0 9420) ।

विदित हो कि थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनांक 04.05.2026 को लिखित प्रार्थनापत्र दिया गया कि वादी की पुत्री जो खलीलाबाद में ट्यूशन पढ़ने जा रही थी कि कटेहवा तिराहा के पास 02 व्यक्तियों द्वारा गले में पहनी चैन छीन कर भाग गये । प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही कर उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- उ0नि0 श्री जयराम यादव, का0 राजू गोड़, का0 प्रदीप कुमार, का0 अवनीश तिवारी ।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्रा*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना धनघटा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 243/2026 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/190/125/115(2)/352 बी०एन०एस० से सम्बन्धित 02 अभियुक्तगण 1. राजकुमार पुत्र गोबरी 2.आनन्द पुत्र गोबरी निवासीगण गायघाट पिपरहवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को धनघटा शिव मन्दिर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार कर मा० न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी श्री इनरमल पुत्र महिपत ग्राम गायघाट थाना धनघटा द्वारा दिनाँक 27.04.2026 को थाना धनघटा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्तगण व उनके साथियों द्वारा दिनाँक 26.04.2026 को वादी के परिवार की बारात जा रही थी, बारात जोगेन्द्र के घर के सामने पहुंची तभी औरतों व बच्चियों के ऊपर कंकड़ मार दिया गया जिसको लेकर झगड़ा-विवाद हुआ। जिसमें मेरे भतीजे अनिल कपुर पुत्र भागीरथी गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसका ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त मुकदमा से संबंधित वांछित 02 अभियुक्तो को आज दिनाँक 05.05.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-
प्रभारी नि0 थाना धनघटा श्री दिलीप सिंह, का0 रजनीश यादव, रि0का0 सत्य कुमार।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप लूट के मामले में 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 05.05.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास व कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना विवरणः-

वादी मुकदमा श्री चन्द्रशेखर पुत्र विद्याप्रसाद दूबे निवासी पाण्डेय पूरा बलुआ थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर द्वारा थाना धनघटा पर अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र हरिनरायन निवासी मीरपुर थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर के विरुद्ध 20,000 रु0 की लूट करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। एस0ओ0 श्री ब्रजेश सिंह यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।
सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 03/2015 धारा 394 भादवि व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त को उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर अन्तर्गत धारा 394 भादवि के तहत 10 वर्ष कारावास सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा तथा धारा 7 सीएलए एक्ट के अपराध में 06 माह कारावास व 500 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर 03 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबद पुलिस द्वारा अभियुक्त नाम पता अरूण यादव पुत्र स्व0 अशोक यादव साकिन बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 05.05.2026 को शमशान घाट औद्योगिक क्षेत्र के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0स0 349/2026 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-
अरूण यादव पुत्र स्व0 अशोक यादव साकिन बरईटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर

पुलिस टीम का विवरण:- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार पाठक, का0 धर्मेन्द्र कुमार यादव, का0 बलराम यादव, का0 कृष्णानन्द शाह, रि0का0 आदर्श प्रताप सिंह, रि0का0 सूरज मिश्रा।